डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु. भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2006—माघ 19, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्र. 1022-58-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियमं जिस पर दिनांक 2 फरवरी 2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २००६.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, २००६

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. प्रोद्धरण का संशोधन.
३. वृहत् नाम का संशोधन.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

४. धारा १ का संशोधन.
५. धारा २ का प्रतिस्थापन.
६. धारा ३ का प्रतिस्थापन.
७. धारा ४ का प्रतिस्थापन.
८. धारा ५ का संशोधन.
९. धारा ६ का संशोधन.
१०. धारा ७ का संशोधन.
११. धारा ८ का संशोधन.
१२. धारा ९ का प्रतिस्थापन.
१३. धारा १० का संशोधन.
१४. धारा ११ का प्रतिस्थापन.
१५. धारा १२ का संशोधन.
१६. धारा १३ का संशोधन.
१७. धारा १४ का प्रतिस्थापन.
१८. धारा १५ का संशोधन.
१९. धारा १६ का संशोधन.
२०. धारा १७ का संशोधन.
२१. धारा १८ का संशोधन.
२२. धारा १९ का संशोधन.
२३. धारा १९-क का अन्त:स्थापन.
२४. धारा २० का संशोधन.
२५. धारा २१ का संशोधन.
२६. धारा २३ का संशोधन.
२७. धारा २४ का संशोधन.
२८. धारा २५ का संशोधन.
२९. धारा २६ का संशोधन.
३०. धारा २७ का संशोधन.
३१. धारा २८ का संशोधन.
३२. धारा २९ का संशोधन.
३३. धारा ३० का प्रतिस्थापन.
३४. धारा ३१ का संशोधन.
३५. धारा ३२ का संशोधन.
३६. धारा ३३ का संशोधन.
३७ धारा ३४ का संशोधन.
३८. धारा ३५ का संशोधन.
३९. धारा ३६ का संशोधन.
४०. धारा ३७ का प्रतिस्थापन.
४१. धारा ३९ का संशोधन.
४२. धारा ४२ का संशोधन.
४३. धारा ४४ का प्रतिस्थापन.
४४. धारा ४५ का संशोधन.
४५. धारा ४६ का संशोधन.
४६. धारा ४८ का संशोधन.
४७. धारा ४९ का संशोधन.
४८. धारा ५१ का संशोधन.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २००६.

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, २००६.

[दिनांक २ फरवरी २००६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ फरवरी, २००६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, १९९० को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १ (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, २००६ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

प्रोद्धरण का संशोधन. २. मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, १९९० (क्रमांक १५ सन् १९९०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धरण में, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय" स्थापित किए जाएं.

वृहत् नाम का संशोधन. ३. मूल अधिनियम के वृहत् नाम में, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय" स्थापित किए जाएं.

धारा १ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान" के स्थान पर, शब्द "राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय" स्थापित किए जाएं.

धारा २ का प्रतिस्थापन. ५. मूल अधिनियम की धारा २ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(एक) "विद्या-परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद्;

(दो) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की महा-परिषद् का अध्यक्ष;

(तीन) "महा-परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय की महा-परिषद्;

(चार) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है, धारा २९ के अधीन गठित विश्वविद्यालय की प्रबंध समिति;

(पांच) "सभापति" से अभिप्रेत है प्रबंध समिति का सभापति;

(छ:) "कुलाधिसचिव" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव;

(सात) "विनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के विनियम;

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(आठ) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय जो अंग्रेजी में ''माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एण्ड कम्युनिकेशन'' के नाम से जाना जाएगा;

(नौ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रमुख.''.

धारा ३ का प्रतिस्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन.

''३ (१) ऐसी तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवम् संचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें महापरिषद्, विद्या परिषद् और कुलपति होंगे.

(२) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा. उसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, संपत्ति अर्जित करने, धारण करने, संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चलाएगा और उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(३) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन कुलपति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वादों में समस्त आदेशिकाएं ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी.

(४) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा.''.

धारा ४ का प्रतिस्थापन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

''४ विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:—

(एक) विश्वविद्यालय को हिन्दी पत्रकारिता पर, विशेष फोकस के साथ पत्रकारिता, जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र तथा सहबद्ध क्षेत्रों में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना;

(दो) उपाधियां, पत्रोपाधियां, प्रमाण-पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां संस्थित करना;

(तीन) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, गोलमेज, विचारगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करना;

(चार) उत्कृष्टता के सांथ वृत्तिक विकास करना;

(पांच) प्रकाशन निकालना; और

(छह) ऊपर वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये समस्त आवश्यक उपाय करना.

धारा ५ का संशोधन

८. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में तथा पाठ में, शब्द ''संस्थान'' जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए;

(दो) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(दो) ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने में उचित समझे, शिक्षण के लिये व्यवस्था करना और अनुसंधान तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रसारण के लिये व्यवस्था करना;

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(तीन) खण्ड (चौदह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चौदह) उन महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाते हैं अपने विशेषाधिकार देना, इन विशेषाधिकारों में से समस्त या कोई विशेषाधिकार वापस लेना और विनियमों द्वारा विहित रीति में तथा शर्तों के अधीन प्रबंध ग्रहण करना;";

(चार) खण्ड (तैंतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तैंतीस) अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलाधिसचिव को या अपने निकाय की किसी समिति या उप-समिति को या किसी एक या एक से अधिक सदस्यों को या अपने अधिकारियों को प्रत्यायोजित करना; और"

धारा ६ का संशोधन.

९. मूल अधिनियम की धारा ६ में, पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द "संस्थान" के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए.

धारा ७ का संशोधन.

१०. मूल अधिनियम की धारा ७ में, पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द "संस्थान" जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए.

धारा ८ का संशोधन.

११. मूल अधिनियम की धारा ८ में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "संस्थान" के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए,

(दो) पाठ में, शब्द "संस्थान" और "महानिदेशक" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" और "कुलपति" क्रमशः स्थापित किए जाएं.

धारा ९ का प्रतिस्थापन.

१२. मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

"९ विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे:—

(एक) कुलपति;

(दो) कुलाधिसचिव;

(तीन) विभागाध्यक्ष; और

(चार) ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.".

धारा १० का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की धारा १० में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "महानिदेशक" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए;

(दो) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(१) विश्वविद्यालय का कुलपति महापरिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, २००६ के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पहले पदासीन "महानिदेशक" उसकी नियुक्ति की अनवसित पदावधि के लिये पद पर बना रहेगा तथा "कुलपति" के रूप में जाना जाएगा.";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(तीन) उपधारा (२) से (११) में, शब्द "महानिदेशक" और "संस्थान", जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "कुलपति" और "विश्वविद्यालय" क्रमश: स्थापित किये जाएं.

धारा ११ का प्रतिस्थापन.

१४. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

कुलाधिसचिव.

"११ (१) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, कुलपति के परामर्श के पश्चात् महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, २००६ के प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पहले पदासीन कार्यपालक निदेशक, अपनी नियुक्ति की अनवसित पदावधि के लिए पद पर बना रहेगा तथा "कुलाधिसचिव" के रूप में जाना जाएगा.

(२) कुलाधिसचिव, कुलपति की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और उसके ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जैसाकि कुलपति उसे प्रत्यायोजित करे.

(३) कुलाधिसचिव, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसे प्रशासन के क्षेत्र में किसी उत्तरदायी पद पर कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो.

(४) कुलाधिसचिव, विश्वविद्यालय के सामान्य प्रशासन और वित्तीय प्रशासन का प्रमुख होगा.".

धारा १२ का संशोधन.

१५. मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) में, शब्द "संस्थान" के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

१६. मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द "संस्थान" जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए.

धारा १४ का प्रतिस्थापन.

१७. मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण.

"१४. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:—

(एक) महा-परिषद्;
(दो) विद्या-परिषद्;
(तीन) प्रबंध समिति;
(चार) वित्त समिति;
(पांच) कुलपति;
(छह) कुलाधिसचिव; और
(सात) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें विनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किए जाएं.".

धारा १५ का संशोधन.

१८. मूल अधिनियम की धारा १५ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (चौदह) में, शब्द "सचिव" के स्थान पर शब्द "प्रमुख सचिव" स्थापित किए जाएं;

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(ख) खण्ड (सत्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(सत्रह) सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;";

(ग) इस प्रकार प्रतिस्थापित खण्ड (सत्रह) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(सत्रह-क) विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का एक आचार्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नाम निर्देशित किया जाएगा;";

(घ) खण्ड (उन्नीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(उन्नीस) विश्वविद्यालय का कुलपति;";

(ङ) खण्ड (बाईस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(बाईस) प्रमुख सचिव, वित्त, मध्यप्रदेश शासन;";

(च) खण्ड (चौबीस) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(चौबीस) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव;";

(दो) उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द "संस्थान" जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए.

१९. मूल अधिनियम की धारा १६ में, शब्द "संस्थान" और "महानिदेशक" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, क्रमश: शब्द "विश्वविद्यालय" तथा "कुलपति" स्थापित किए जाएं. **धारा १६ का संशोधन.**

२०. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (३) में, शब्द, "या यदि महानिदेशक और कार्यपालक निदेशक से भिन्न कोई सदस्य, संस्थान में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है" के स्थान पर, शब्द "या यदि कुलपति और कुलाधिसचिव से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है" स्थापित किए जाएं. **धारा १७ का संशोधन.**

२१. मूल अधिनियम की धारा १८ में, शब्द "संस्थान" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए. **धारा १८ का संशोधन.**

२२. मूल अधिनियम की धारा १९ में,— **धारा १९ का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "दो बार" के स्थान पर, शब्द "एक बार" स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (३), (५) तथा (६) में, शब्द "संस्थान" और "महानिदेशक," जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, क्रमश: शब्द "विश्वविद्यालय" और "कुलपति" स्थापित किए जाएं.

२३. मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:— **धारा १९-क का अन्त:स्थापन.**

"१९-क. महा-परिषद् के सम्मिलन के लिए गणपूर्ति, उक्त परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और यदि सम्मिलन में गणपूर्ति नहीं होती है, तो पीठासीन अधिकारी सम्मिलन को ऐसी तारीख और समय तक के लिए स्थगित करेगा, जैसाकि उसके द्वारा नियत किया जाए; **गणपूर्ति.**

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी तथा ऐसे स्थगित सम्मिलिन में विचार हेतु कोई नया विषय नहीं लाया जाएगा.''.

धारा २० का संशोधन.

२४. मूल अधिनियम की धारा २० में, शब्द ''महानिदेशक'' के स्थान पर, शब्द ''कुलपति'' स्थापित किया जाए.

धारा २१ का संशोधन.

२५. मूल अधिनियम की धारा २१ में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा २३ का संशोधन.

२६. मूल अधिनियम की धारा २३ में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा २४ का संशोधन.

२७. मूल अधिनियम की धारा २४ में,—

(एक) खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(एक) विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विभागाध्यक्षों की समय-समय पर नियुक्ति करना;'';

(दो) खण्ड (चार) से (नौ) में, शब्द, ''संस्थान'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा २५ का संशोधन.

२८. मूल अधिनियम की धारा २५ में, उपधारा (१) में दो बार आए शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा २६ का संशोधन.

२९. मूल अधिनियम की धारा २६ में, शब्द, ''संस्थान'', ''महानिदेशक'' और ''कार्यपालक निदेशक'' जहां भी वे आए हों, के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''विश्वविद्यालय'', ''कुलपति'' तथा ''कुलाधिसचिव ''स्थापित किए जाएं.

धारा २७ का संशोधन.

३०. मूल अधिनियम की धारा २७ में, खण्ड (चार), (छह), (सात) और (आठ) में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा २८ का संशोधन.

३१. मूल अधिनियम की धारा २८ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''छह'' के स्थान पर, शब्द ''दो'' स्थापित किया जाए.

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(२) विद्यापरिषद् के किसी सम्मिलन के लिए गणपूर्ति उक्त परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में, उक्त परिषद् के सम्मिलन को उसी स्थान पर उसी कार्य सूची (एजेन्डा) सहित मिलने हेतु आधे घंटे के लिये स्थगित किया जाएगा:

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.''.

(तीन) उपधारा (५) में, शब्द ''कार्यपालक निदेशक'' के स्थान पर, शब्द ''कुलाधिसचिव'' स्थापित किया जाए.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

३२. मूल अधिनियम की धारा २९ में,— धारा २९ का संशोधन.

(एक) खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(तीन) विश्वविद्यालय का कुलपति;";

(दो) खण्ड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(पांच) विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव; तथा;";

३३. मूल अधिनियम की धारा ३० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा ३० का प्रतिस्थापन.

"३० (१) प्रबंध समिति, प्रशासनिक नीति संबंधी मामलों पर उस सीमा तक विचार करेगी और निर्णय लेगी, जिस सीमा तक वे उसे महापरिषद् द्वारा प्रत्यायोजित किए गए हों. प्रबंध समिति की शक्तियां तथा कृत्य.

(२) प्रबंध समिति अपनी शक्तियां किसी उप-समिति या कुलपति को उस सीमा तक प्रत्यायोजित कर सकेगी, जिस सीमा तक वह ऐसा करना विनिश्चित करें.".

३४. मूल अधिनियम की धारा ३१ में,— धारा ३१ का संशोधन.

(एक) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(१) प्रबंध समिति का सम्मिलन कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा, किन्तु वह छह माह में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी.";

(दो) उपधारा (५) में, शब्द "महा निदेशक" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए;

(तीन) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए अर्थात्:—

"(५-क) प्रबंध समिति के सम्मिलन भी गणपूर्ति, सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी और अपेक्षित गणपूर्ति के अभाव में, उक्त समिति के सम्मिलन को उसी स्थान पर, उसी कार्य सूची (एजेन्डा) सहित मिलने हेतु आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा:

परन्तु स्थगित सम्मिलन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

३५. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, शब्द "महानिदेशक", "संस्थान", "कार्यपालक निदेशक" और "चार बार", जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, क्रमशः शब्द "कुलपति", "विश्वविद्यालय", कुलाधिसचिव" और "एक बार" स्थापित किए जाएं. धारा ३२ का संशोधन.

३६. मूल अधिनियम की धारा ३३ में,— धारा ३३ का संशोधन.

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(क) कुलपति, जो समिति का संयोजक होगा;

(ख) मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय का कुलपति, जो महा-परिषद का एक सदस्य होगा;";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication Bhopal (M.P.)

(दो) उपधारा (३) में, दो बार आने वाले शब्द ''महानिदेशक'' के स्थान पर, शब्द ''कुलपति'' स्थापित किया जाए.

धारा ३४ का संशोधन.

३७. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, पार्श्वशीर्ष में और पाठ में शब्द ''संस्थान'' और ''महानिदेशक'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''विश्वविद्यालय'' और ''कुलपति'' स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन.

३८. मूल अधिनियम की धारा ३५ में,—

(एक) उपधारा (१), (२) तथा (३) में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

(दो) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(४) संपरीक्षित लेखाओं की प्रति के साथ संपरीक्षा रिपोर्ट महापरिषद् के सम्मिलन में रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी तथा इसके पश्चात् इसे प्रकाशित किया जाएगा.''

धारा ३६ का संशोधन.

३९. मूल अधिनियम की धारा ३६ में, उपधारा (२) तथा (३) में, शब्द ''महानिदेशक'' के स्थान पर, शब्द ''कुलपति'' स्थापित किया जाए.

धारा ३७ का प्रतिस्थापन.

४०. मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

संविदाओं का निष्पादन.

''३७. विश्वविद्यालय के प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित सभी संविदायें महापरिषद् द्वारा की गई कही जाएंगी और उनका निष्पादन कुलपति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा.''.

धारा ३९ का संशोधन.

४१. मूल अधिनियम की धारा ३९ में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा ४२ का संशोधन.

४२. मूल अधिनियम की धारा ४२ में, शब्द ''संस्थान'', ''महानिदेशक'' और ''कार्यपालक निदेशक'' जहां कही भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'', ''कुलपति'' और ''कुलाधिसचिव'' क्रमशः स्थापित किए जाएं.

धारा ४४ का प्रतिस्थापन.

४३. मूल अधिनियम की धारा ४४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय को अनुदान.

''४४. राज्य सरकार, विश्वविद्यालय को अनुदान देगी और इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अन्य राज्य सरकारों से, भारत सरकार से तथा अन्य संस्थाओं से विशिष्ट या सामान्य अनुदान प्राप्त कर सकेगी.''.

धारा ४५ का संशोधन.

४४. मूल अधिनियम की धारा ४५ में दो बार आने वाले शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा ४६ का संशोधन.

४५. मूल अधिनियम की धारा ४६ में, पार्श्व शीर्ष और पाठ में, शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

धारा ४८ का संशोधन.

४६. मूल अधिनियम की धारा ४८ में, शब्द ''महानिदेशक'' के स्थान पर, शब्द ''कुलपति'' तथा शब्द ''संस्थान'' के स्थान पर, शब्द ''विश्वविद्यालय'' स्थापित किया जाए.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

४७. मूल अधिनियम की धारा ४९ में, शब्द "संस्थान" और "महानिदेशक" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" और "कुलपति" क्रमश: स्थापित किए जाएं. **धारा ४९ का संशोधन.**

४८. मूल अधिनियम की धारा ५१ में, शब्द "संस्थान" के स्थान पर, शब्द "विश्वविद्यालय" स्थापित किया जाए. **धारा ५१ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2006

क्र. 1023-58-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 8 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश पंड्या, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No.8 of 2006.

THE MADHYA PRADESH MAKHANLAL CHATURVEDI RASHTRIYA PATRAKARITA VISHWAVIDYALAYA SANSTHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Substitution of Section 2.

   Substitution of Section 3.

7. Substitution of Section 4.
8. Amendment of Section 5.
9. Amendment of Section 6.
10. Amendment of Section 7.
11. Amendment of Section 8.
12. Substitution of Section 9.
13. Amendment of Section 10.
14. Substitution of Section 11.
15. Amendment of Section 12.

Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication Bhopal (M.P.)

16. Amendment of Section 13.
17. Substitution of Section 14.
18. Amendment of Section 15.
19. Amendment of Section 16.
20. Amendment of Section 17.
21. Amendment of Section 18.
22. Amendment of Section 19.
23. Insertion of Section 19-A.
24. Amendment of Section 20.
25. Amendment of Section 21.
26. Amendment of Section 23.
27. Amendment of Section 24.
28. Amendment of Section 25.
29. Amendment of Section 26.
30. Amendment of Section 27.
31. Amendment of Section 28.
32. Amendment of Section 29.
33. Substitution of Section 30.
34. Amendment of Section 31.
35. Amendment of Section 32.
36. Amendment of Section 33.
37. Amendment of Section 34.
38. Amendment of Section 35.
39. Amendment of Section 36.
40. Substitution of Section 37.
41. Amendment of Section 39.
42. Amendment of Section 42.
43. Substitution of Section 44.
44. Amendment of Section 45.
45. Amendment of Section 46.
46. Amendment of Section 48.
47. Amendment of Section 49.
48. Amendment of Section 51.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2006.

THE MADHYA PRADESH MAKHANLAL CHATURVEDI RASHTRIYA PATRAKARITA VISHWAVIDYALAYA SANSTHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2006.

[Received the assent of the Governor on the 2nd February, 2006; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 8th February, 2006.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan Adhiniyam, 1990.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by Notification, appoint.

Amendment of citation.

2. In the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan Adhiniyam, 1990 (No. 15 of 1990) (hereinafter referred to as the Principal Act), in the citation, for the words "Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan" the words "Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya" shall be substituted.

Amendment of long title.

3. In the long title of the Principal Act for the words "Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan" the words "Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya" shall be substituted.

Amendment of Section 1.

4. In Section 1 of the Principal Act, for the words "Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan" the words "Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya" shall be substituted.

Substitution of Section 2.

5. For Section 2 of the Principal Act, the following Section shall be substituted namely:—

Definitions.

"2. In this Act unless the context otherwise requires,—

(i) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(ii) "Chairman" means the Chairman of the General Council of the University;

(iii) "General Council" means the General Council of the University;

(iv) "Managing Committee" means the Managing Committee of the University constituted under section 29;

(v) "President" means the President of the Managing Committee ;

(vi) "Rector" means the Rector of the University;

(vii) "Regulations" means the Regulations of the University made under this Act;

(viii) "University" means the Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya established under sub-section (1) of Section 3, which will be known in English as "Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication";

(ix) "Vice Chancellor" means the head of the University.".

Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication Bhopal (M.P.)

Substitution of Section 3.

6. For Section 3 of the Principal Act, the following section shall be substituted namely:—

Establishment and incorporation of the Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya.

"3. (1) With effect from such date as the State Government may by notification, appoint, there shall be established in the State of Madhya Pradesh a University by the name of the Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Avam Sanchar Vishwavidyalaya, which shall consist of the General Council, the Academic Council and the Vice Chancellor.

(2) The University shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property, to contract and shall, by the said name sue and be sued.

(3) In all suits and other legal proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by a person duly authorized by the Vice Chancellor and all processes in such suits shall be issued to and served on such authorised person.

(4) The headquarters of the University shall be at Bhopal."

Substitution of Section 4.

7. For Section 4 of the Principal Act, the following section shall be substituted namely:—

Objects of the University.

"4. The objects of the University shall be—

(i) to develop the University into a national centre of teaching, training and research in the field of Journalism, Mass Communication, Information Technology and allied fields with special focus on Hindi Journalism;

(ii) to institute degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

(iii) to organize refresher courses, roundtables, seminars and workshops;

(iv) to develop professional with excellence;

(v) to bring out publications; and

(vi) to take all necessary steps to achieve the aforementioned objectives.".

Amendment of Section 5.

8. In Section 5 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading and in the text for the word" Sansthan" wherever it occurs, the word "University" shall be substituted;

(ii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(ii) to provide for instructions in such branches of knowledge or learning as the University may think fit in furtherance of its objectives and to make provisions for research and for advancement and dissemination of knowledge;";

(iii) for clause (xiv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xiv) to admit to its privileges colleges and institutions not maintained by the University, to withdraw all or any of these privileges and to take over management in the manner and under conditions prescribed by the Regulations;";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(iv) for clause (xxxiii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxxiii) to delegate all or any of its powers to the Vice Chancellor, the Rector of the University or any committee or sub-committee or any one or more members of its body or its officers; and".

Amendment of Section 6.

9. In Section 6 of the Principal Act, in the marginal heading and in the text, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 7.

10. In Section 7 of the Principal Act, in the marginal heading and in the text, for the word "Sansthan", wherever it occurs, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 8.

11. In Section 8 of the Principal Act—

(i) in the marginal heading for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted;

(ii) in the text, for the words "Sansthan" and "Director General" wherever they occur, the words "University" and "Vice Chancellor" shall respectively be substituted.

Substitution of Section 9.

12. For Section 9 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Officers of the University.

"9. The following shall be the officers of the University:—

(i) the Vice Chancellor;

(ii) the Rector;

(iii) the Heads of Departments; and

(iv) such other officers as may be prescribed by the Regulations.".

Amendment of Section 10.

13. In Section 10 of the Principal Act,—

(i) in the marginal heading, for the word "Director General" the word "Vice Chancellor" shall be substituted;

(ii) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The Vice Chancellor of the University shall be appointed by the General Council:

Provided that the Director General in office immediately before the date of coming in to force of the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 shall continue in office for the unexpired term of his appointment and shall be known as "Vice Chancellor";

(iii) in sub-sections (2) to (11), for the words "Director General" and "Sansthan" wherever they occur, the words "Vice Chancellor" and "University" shall respectively be substituted.

Substitution of Section 11.

14. For Section 11 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Rector.

"11. (1) The Rector of the University shall be appointed by the Chairman of the General Council after consultation with the Vice Chancellor:

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

Provided that the Executive Director in office immediately before the date of coming into force of the Madhya Pradesh Makhanlal Chaturvedi Rashtriya Patrakarita Vishwavidyalaya Sansthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 shall continue in office for the unexpired term of his appointment and shall be known as Rector.

(2) The Rector shall exercise such powers and perform such duties of the Vice Chancellor as the Vice Chancellor may delegate to him.

(3) The Rector shall be a person who has experience of at least twenty years on a responsible post in the field of administration.

(4) The Rector shall be the head of the general administration and financial administration of the University.".

Amendment of Section 12.

15. In sub-section (1) of Section 12 of the Principal Act, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 13.

16. In Section 13 of the Principal Act, for the word "Sansthan" wherever it occurs, the word "University" shall be substituted.

Substitution of Section 14.

17. For Section 14 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Authorities of the University.

"14. The following shall be the authorities of the University:—

(i) the General Council;
(ii) the Academic Council;
(iii) the Managing Committee;
(iv) the Finance Committee;
(v) the Vice Chancellor;
(vi) the Rector; and
(vii) Such other authorities as may be declared by the regulations to be the authorities of the University.".

Amendment of Section 15.

18. In Section 15 of the principal Act.—

(i) in sub-section (1),—

(a) in clause (xiv), for the word "Secretary" the words "Principal Secretary" shall be substituted;

(b) for clause (xvii), the following clause shall be substituted namely:—

"(xvii) one expert from the field of Information Technology to be nominated by the State Government;";

(c) after clause (xvii) as so substituted, the following new clause shall be inserted, namely:—

"(xviia) one Professor of the University Teaching Department to be nominated by the Vice Chancellor in rotation;";

(d) for clause (xix), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xix) Vice Chancellor of the University;";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(e) for clause (xxii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxii) Principal Secretary Finance, Government of Madhya Pradesh;";

(f) for clause (xxiv), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xxiv) Rector of the University;";

(ii) in sub-sections (2) and (3), for the word "Sansthan" wherever it occurs, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

19. In Section 16 of the principal Act, for the words "Sansthan" and "Director General" wherever they occur, the words "University" and "Vice Chancellor" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 17.

20. In sub-section (3) of Section 17 of the principal Act, for the words "or if a member other than the Director General and the Executive Director, accepts a full time appointment in the Sansthan" the words "or if a member other than the Vice Chancellor and the Rector, accepts a full time appointment in the University" shall be substituted.

Amendment of Section 18.

21. In Section 18 of the principal Act, for the word "Sansthan" wherever it occurs, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 19.

22. In Section 19 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for the word "twice" the word "once" shall be substituted;

(ii) in sub-sections (3), (5) and (6), for the words "Sansthan" and "Director General" wherever they occur, the words "University" and "Vice Chancellor" shall respectively be substituted.

Insertion of Section 19A.

23. After Section 19 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Quorum.

"19 A. The quorum for a meeting of the General Council shall be one-third of the total number of the members constituting the said Council, and if there is no quorum at a meeting, the presiding authority shall adjourn the meeting to such date and time as may be fixed by it:

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting, and no new subject shall be brought for consideration at such adjourned meeting.".

Amendment of Section 20.

24. In Section 20 of the principal Act, for the words "Director General" the words "Vice Chancellor" shall be substituted.

Amendment of Section 21.

25. In Section 21 of the principal Act, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 23.

26. In Section 23 of the principal Act, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 24.

27. In Section 24 of the principal Act,—

(i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) to appoint, from time to time, the Vice Chancellor and Head of Departments of the University;";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(ii) in clauses (iv) to (ix), for the word "Sansthan" wherever it occurs, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

28. In Section 25 of the principal Act, in sub-section (1), for the word "Sansthan" occurring twice, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 26.

29. In Section 26 of the principal Act, for the words "Sansthan", "Director General" and "Executive Director" wherever they occur, the words "University", "Vice-Chancellor" and "Rector" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 27.

30. In Section 27 of the principal Act, in clauses (iv), (vi), (vii) and (viii), for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 28.

31. In Section 28 of the principal Act,—

(i) in sub-Section (1), for the word "six" the word "two" shall be substituted;

(ii) for sub-Section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) The quorum for a meeting of the Academic Council shall be one third of the total number of the member constituting the said Council and in the absence of the requisite quorum, the meeting of the said Council shall be adjourned for half an hour to meet at the same venue with the same agenda:

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.".

(iii) in sub-section (5), for the word "Executive Director" the word "Rector" shall be substituted.

Amendment of Section 29.

32. In Section 29 of the principal Act,—

(i) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(iii) The Vice-Chancellor of the University;";

(ii) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:—

"(v) The Rector of the University; and".

Substitution of Section 30.

33. For Section 30 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Powers and functions of the Managing Committee.

"30. (1) The Managing Committee shall consider and decide matters relating to administrative policy to the extent they are delegated to it by the General Council.

(2) The Managing Committee may delegate the powers to such extent as it may decide, to a sub-committee or to the Vice-Chancellor.".

Amendment of Section 31.

34. In Section 31 of the principal Act,—

(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The meeting of the Managing Committee shall be called by the Vice-Chancellor but it shall meet at least once in six months.";

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

(ii) in sub-section (5), for the word "Director General" the word "Vice Chancellor" shall be substituted;

(iii) after sub-section (5), the following sub-section shall be added, namely:—

"(5-a) The quorum for a meeting of the Managing committee shall be one third of the total number of the members and in the absence of the requisite quorum, the meeting of the said Committee shall be adjourned for half an hour to meet at the same venue with the same agenda:

Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.".

Amendment of Section 32.

35. In section 32 of the principal Act, for the words "Director General" "Sansthan" Executive Director" and "four times" wherever they occur, the words "Vice Chancellor", "University" "Rector" and "once" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 33.

36. In section 33 of the principal Act,—

(i) in sub-section (2), for clauses (a) and (b), the following clauses shall respectively be substituted, namely:—

"(a) The Vice Chancellor, who shall be the Convenor of the committee;

(b) The Vice Chancellor of a University of Madhya Pradesh, who shall be a member of the General Council;";

(ii) in sub-section (3), for the word "Director General" occuring twice, the word "Vice Chancellor" shall be substituted.

Amendment of Section 34.

37. In section 34 of the principal Act, in the marginal heading and in the text for the words "Sansthan" and "Director General" the words "University" and Vice Chancellor" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 35.

38. In section 35 of the principal Act,—

(i) in sub-sections (1), (2) and (3), for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted;

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) A copy of the audited accounts together with the audit report shall be placed in the meeting of the General Council and shall also be submitted to the State Government and thereafter it shall be published.".

Amendment of Section 36.

39. In section 36 of the principal Act, the in sub-sections (2) and (3), for the word "Director General" the word "Vice Chancellor" shall be substituted.

Substitution of Section 37.

40. For section 37 of the principal Act, following section shall be substituted, namely:—

Execution of contracts.

"37. All contracts relating to the management and administration of the University shall be expressed as made by the General Council and shall be executed by the Vice Chancellor or by an officer authorized by him.".

Amendment of Section 39.

41. In section 39 of the principal Act, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

Amendment of Section 42.

42. In section 42 of the principal Act, for the words "Sansthan", "Director General" and "Executive Director" wherever they occur, the words "University", "Vice Chancellor" and "Rector" shall respectively be substituted.

Substituion of Section 44.

43. For section 44 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Grant to the University.

"44. The State Government shall give grants to the University, and in addition the University may receive specific or general grants from other State Governments, Government of India and other institutions.".

Amendment of Section 45.

44. In section 45 of the principal Act, for the word "Sansthan" occurring twice, the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 46.

45. In section 46 of the principal Act, in the marginal heading and in the text, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 48.

46. In section 48 of the principal Act, for the word "Director General" the word "Vice Chancellor" and for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Amendment of Section 49.

47. In section 49 of the principal Act, for the words "Sansthan" and "Director General" wherever they occur, the words "University" and "Vice chancellor" shall respectively be substituted.

Amendment of Section 51.

48. In section 51 of the principal Act, for the word "Sansthan" the word "University" shall be substituted.

Registrar
Makhanlal Chaturvedi National
University of Journalism and Communication
Bhopal (M.P.)

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.